



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1817]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937

No. 1817]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2015

का.आ. 2345 (अ).-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2423 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 2014 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुसूची

(राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर हुबली-धरवाड बाइपास के सड़क प्रयोक्ताओं से प्रकाशन की तारीख से वसूल की जाने वाली दरें)

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	प्रति वाहन प्रति यात्रा फीस ए, रुपये में	प्रति वाहन प्रति यात्रा फीस एबी, रुपये में	प्रति वाहन प्रति यात्रा फीस श्रेणी बी रुपये में	प्रति वाहन प्रति यात्रा फीस श्रेणी सी रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कार अथवा जीप अथवा वैन	31.00	31.00	41.00	55.00
2.	बसें	31.00	47.00	150.00	195.00
3.	ट्रक	31.00	57.00	182.00	237.00
4.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	31.00	34.00	111.00	136.00
5.	बहु-धुरीय वाहन	31.00	52.00	177.00	216.00

फीस श्रेणी;

फीस श्रेणी ए: ऐसे वाहन जो अयोध्या नगर रोड क्रासिंग पर प्रवेश और बाइपास के अंत में हुबली की ओर तथा इसके विपरीत जाते हैं और धरवाड-गोवा इंटरचेंज से प्रवेश और बाइपास के अंत में धरवाड की ओर तथा इसके विपरीत जाते हैं (दोनों अंतिम सिरों की फीस के रूप में भी संदर्भित)।

फीस श्रेणी एबी: ऐसे वाहन जो तरीहल रोड इंटरचेंज से प्रवेश करते हैं और कलघाटगी रोड क्रासिंग अथवा करवाड रोड इंटरचेंज अथवा अयोध्या नगर इंटरचेंज और इसके विपरीत जाते हैं।

फीस श्रेणी बी: ऐसे वाहन जो कलघाटगी रोड क्रासिंग से प्रवेश और हुबली अथवा धरवाड बाइपास के अंतिम छोर तथा इसके विपरीत जाते हैं (आंशिक फीस के रूप में भी संदर्भित है)।

फीस श्रेणी सी: ऐसे वाहन जो हुबली अथवा धरवाड बाइपास के अंतिम छोर की ओर से तथा अयोध्या नगर इंटरचेंज से प्रवेश और कलघाटगी रोड क्रासिंग के बाद किसी बिंदु की ओर तथा इसके विपरीत जाते हैं (फीस के रूप में भी संदर्भित है)।”

[फा.सं.आरडब्ल्यू/एनएच-12037/62/2003-केएनटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना का.आ. 1199(अ) दिनांक 12 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और का.आ. 1089(अ) दिनांक 13 मई, 2010, का.आ. 1060(अ) दिनांक 13 मई, 2011, का.आ. 1506(अ) दिनांक 05 जुलाई, 2012, का.आ. 1390(अ) दिनांक 28 मई, 2013, का.आ. 2423(अ) दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के माध्यम से तत्पश्चात संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2015

S.O. 2345(E).—In exercise of the powers conferred by sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Department of Road Transport & Highways) Number S.O. 2423(E) dated the 17th September, 2014, namely;

For the Schedule to the said notification, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

(Rates to be recovered from users of Hubli-Dharwad Bypass on National Highway No. 4 w.e.f. date of publication)

Sl. No.	Categories of Vehicles	Fee Category A ₂ , in Rupees, per Vehicle per Trip	Fee Category AB, in Rupees, per Vehicle per Trip	Fee Category B, in Rupees, per Vehicle per Trip	Fee Category C, in Rupees, per Vehicle per Trip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Car or Jeep or Vans	31.00	31.00	41.00	55.00
2.	Buses	31.00	47.00	150.00	195.00
3.	Truck	31.00	57.00	182.00	237.00
4.	Light Commercial Vehicles	31.00	34.00	111.00	136.00
5.	Multi-Axle Vehicles	31.00	52.00	177.00	216.00

Fee Category.

Fee Category A: Vehicles entering at Ayodhyanagar road crossing and leaving towards Hubli end of the Bypass and vice versa as well as vehicles entering from Dharwad-Goa interchange and leaving towards Dharwad end of the Bypass and vice versa (also referred as Both End Fee).

Fee Category AB: Vehicles entering from Tarihal Road Interchange and leaving towards Kalghatgi Road crossing or Karwar Road Interchange or Ayodhyanagar Interchange and vice versa.

Fee Category B: Vehicles entering from Kalghatgi Road crossing and leaving towards Hubli end or Dharwad end of the Bypass and vice versa (also referred as partial fee).

Fee Category C: Vehicles entering from the side of Hubli end or Dharwad end of the Bypass and from Ayodhyanagar Interchange and Dharwad Goa Road Interchange and leaving towards a point beyond Kalghatgi Road crossing and vice versa (also referred as Through fee).”

[F.No. RW/NH-12037/62/2003-KNT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1199(E), dated 12th May, 2009 and subsequently amended vide numbers S.O. 1089(E) dated the 13th May, 2010, S.O. 1060(E) dated 13th May, 2011, S.O. 1506(E) dated 5th July, 2012, S.O. 1390(E) dated the 28th May, 2013 and S.O. No. 2423(E) dated 17th September, 2014, namely.